न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 83 / 2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024 / 163

प्रार्थी

प्रेम प्रकाश बिडयासर पुत्र स्व. ज्ञानेन्द्र सिंह, निवासी रणसीसर

बनाम

अप्रार्थी

1. श्रीमती सुलोचना देवी पत्नि स्व. देवेन्द्र बिडासर
2. झलक पुत्री देवेन्द्र बिडासर, जातियान जाट, निवासीगण रणसीसर, तहसील डीडवाना
3. शारदा पुत्री स्वतन्त्रसिंह, जाति जाट निवासी रणसीसर, पत्नि श्री जयदीप, जाति जाट, हाल निवासी छानी बड़ी, तहसील भादरा
4. संगीता पुत्री स्वतन्त्रसिंह, जाति जाट निवासी रणसीसर, पत्नि रामेश्वर छाबा हाल निवासी प्लोट नं. 14, सेक्टर 12 / 1, वार्ड नं. 11, पुराना कुंजा, श्रीगंगानगर रोड़, हनुमानगढ़
5. निरू पुत्र रूकमणी, जाति जाट, निवासी बिलाड़ा
6. सरोज पुत्री रूकमणी, जाति जाट, निवासी बिलाड़ा
7. पिंकी पुत्री रूकमणी, जाति जाट, निवासी बिलाड़ा
8. लीलू पुत्री रूकमणी, जाति जाट, निवासी बिलाड़ा
9. संतोष पुत्री रूकमणी, जाति जाट, निवासी बिलाड़ा
10. तहसीलदार एवं उप पंजीयक खाटू छोटी / डीडवाना
11. श्री विकास मोहन भाटी, सहायक कलक्टर, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचमान।

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 235 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में अगली सुनवाई की तारीख 18.10.2024

उपस्थितः–

1. श्री छोटूराम चौधरी वकील प्रार्थी की ओर से।

–:आदेश:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 21.04.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है:–

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

1. अप्रार्थी वादिगण ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना ने प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 व अन्य के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 202/2024 प्रस्तुत करके राजस्व अभिलेख में अंकित खातेदार कास्तकार स्व. ज्ञानेन्द्र सिंह के स्वर्गवास पश्चात अपने आपको उनका उत्तराधिकारी बतलाते हुए उनकी खातेदारी कृषि भूमि पर एक तिहाई हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित करने एवं उसी के अनुरूप कृषि भूमि का बंटवारा करने का आदेश चाहा है। इसी वाद के साथ अप्रार्थीग वादिगण ने राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 212 का एक प्रार्थना पत्र संख्या 133/2024 पेश करके एक तरफा अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त कर ली है।
2. जैसे ही प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 को इस वाद एवं अस्थयी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की जानकारी मिली, प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 रूल 11 का एक प्रार्थना पत्र मय अप्रार्थिगण वादिगण के स्वसुर व दादा को पंजीकृत गोदनामा के माध्यम से गोपाराम व श्रीमती सेजा को गोदपुत्र देने के अभिलेख की सत्यापित प्रतिलिपि पेश कर, अप्रार्थिगण वादिगण द्वारा पेश किया गया वाद पोषणीय नहीं होने के कारण वाद को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया है।
3. प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 के उपरोक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिउत्तर अप्रार्थिगण वादिगण ने प्रस्तुत करके, उनके स्वसुर व दादा को पंजीकृत गोदनामा के माध्यम से गोदपुत्र देने की जानकारी से अपने आपको अनभिज्ञ बतलाया गया है और दिनांक 18.06.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली दिनांक 26.06.2024 को निर्णय सुनाने हेतु पेश करने का आदेश अंकित किया गया था।
4. अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने नियत दिनांक को निर्णय सुनाने की बजाय उसके पश्चात दिनांक 04.07.2024, 12.07.2024, 26.07.2024, 13.08.2024, 30.08.2024 को निर्धारित की गई है लेकिन आज दिनांक तक निर्णय नहीं सुनाया गया है।
5. प्रार्थी के अधिवक्ता को समय समय पर निर्णय हेतु पेशी बदलने की ही सूचना दी जाती रही है।
6. दिनांक 22.07.2024 को मूल वाद पत्रावली की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता को पता चला है कि पत्रावली में दोनों पक्षों की बहस सुनकर निर्णय हेतु रखी गई पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अप्रार्थिग वादिगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24.06.2024 को मात्र फार्म नम्बर 03 के साथ, बिना किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, मात्र कुछ एक अभिलेखों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई है जिनके सम्बन्ध में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 को सुने बिना ही दिनांक 26.06.2024 को इन्हे पत्रावली में शामि[illegible] का आदेश पारित किया गया है।
7. अधीनस्थ न्यायलय के पीठासीन [illegible] यह कृत्य यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनकी [illegible] अधिवक्ता से संठगांठ हो चुकी है, जिसके कारण ही उन्होंने यह न केवल अनुचित आदेश पारित किया है बल्कि जानबूझकर उन छायाप्रतियों को साक्ष्य [illegible] पढ़ने का बहाना बनाकर निर्णय को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

लम्बित कर रखा है और बिना किसी न्योचित कारण के वादकरण को बढ़ाना चाहते हैं।

8. जैसे ही प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 को इस अनुचित एवं अवैधानिक कार्यवाही की जानकारी मिली, उसने माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2024 को प्रस्तुत करके इसका विरोध दर्ज करवा दिया है।

9. अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थिग वादिगण की उनके अधिवक्ता के माध्यम से सांठगांठ हो चुकी है एवं उसी के कारण प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07, रूल 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गए प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक तक निर्णय नहीं सुनाया गया है। इतने लम्बे समय तक पीठासन अधिकारी द्वारा निर्णय लम्बित रखना यह प्रमाणित करता है कि व अब इस प्रकरण में अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से ही इसको लम्बित रख रहे हैं और प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 को पूर्ण संदेग है कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी इस प्रकरण में न्यायोचित निर्णय पारित नहीं करेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि न्याय हित में प्रार्थी प्रतिवादी संख्या 01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 202/2023 मय स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 133/2023 की पत्रावली किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित करने का आदेश प्रदान कर प्रार्थी को न्याय दिलानें की कृपा करावे।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। यद्वपि अप्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं होते है, फिर भी न्याय हित में उक्त प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी को स्थानान्तरित किया जाता है। उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested